तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व आवेदन संख्या 45/2022 अनवान पोकराराम बनाम शम्भूराम

निर्णय

25/11/22

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/421 रकबा 7.6485 हैक्टयर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 01 का भी 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से तथा भूमि की कीमतों में वृद्धि होने से अप्रार्थी संख्या 01 उसका फायदा उठाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन करने में आमदा है तथा बिना भूमि का विभाजन करवाये मौके की स्थिति में परिवर्तन कर रहे है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 संयुक्त खातेदारी की भूमि का अजनबी व्यक्तियों को विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना बेचान कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी लिहाजा मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/421 रकबा 7.6485 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 वाद के निर्णय तक मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज बावजूद सूना अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। प्रकरण में दिनांक

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 45/2022 अनवान पोकराराम बनाम शम्भूराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	25.11.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/421 रकबा 7.6485 हैक्टयर भूमि में मौके में उभय पक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर	